भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †2892
दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ

स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन

†2892. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में स्वामित्व योजना के प्रारंभ से अब तक कवर किए गए गांवों की संख्या, पूरे किए गए ड्रोन सर्वेक्षण और जारी किए गए संपत्ति कार्डोसहित इसके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश द्वारा मांगी गई, आबंटित और जारी की गई निधि कावर्ष-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम) और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन(सीओआरएस) की स्थापना के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा स्थापित सीओआरएस और प्राप्त परिणामों का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ड्रोन सर्वेक्षण पूरा होने के बावजूद आंध्र प्रदेश में कोई संपत्ति कार्ड जारी नहीं किया गया है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इसमें विलंब के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिसूचित किए गए सभी 13,321 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। राज्य ने स्वामित्व योजना के तहत 1067 गांवों में 5.3 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 में, आंध्र प्रदेश राज्य ने सूचना, शिक्षा और संचार(आईईसी) गतिविधियों के लिए 15 लाख रुपये और स्वामित्व योजना के तहत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना के लिए 11.7 लाख रुपये की मांग की थी। तदनुसार, राज्य द्वारा मांगे जाने पर, मंत्रालय द्वारा आईईसी और एसपीएमयू घटकों के लिए 26.7 लाख रुपये क्रमश: (15 लाख रुपये+ 11.7 लाख रुपये) जारी किए गए थे। राज्य ने उसके बाद किसी भी धनराशि का अनुरोध नहीं किया है।

(ग) स्वामित्व योजना के तहत बड़े पैमाने पर मानचित्रण(LSM) के लिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग(आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जीडीसी) को 85.80 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। राज्य ने अपने संसाधनों के माध्यम से 70 सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) स्थापित किए हैं, इसलिए राज्य में सीओआरएस के लिए सर्वे ऑफ़ इंडिया को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है। जिलावार विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(घ) संपत्ति कार्ड प्रारूप में बदलाव के कारण आंध्र प्रदेश में स्वामित्व के तहत कोई संपत्ति कार्ड जारी नहीं किया गया है।

अनुलग्नक -I

'स्वामित्व योजना के कार्यान्वियन' के संबंध में लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2892 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. स.	जिला	कॉर्स स्टेशनों की संख्या
1	श्रीकाकुलम	4
2	पार्वतीपुरम मान्यम	3
3	विज़ियानगरम	1
4	विशाखापत्तनम	1
5	अनकापल्ली	2
6	अल्लूरी सीताराम राजू	3
7	काकीनाडा	3
8	कोनासीमा	1
9	ईस्ट गोदावरी	2
10	एलुरु	2
11	वेस्ट गोदावरी	1
12	एनटीआर	3
13	कृष्णा	2
14	गुंटूर	1
15	पलनाडू	1
16	बापटला	2
17	प्रकाशम	5
18	एसपीएसआर नेल्लोर	5
19	कुरनूल	2
20	नंदयाल	3
21	वाईएसआर कडप्पा	3
22	अन्नामय्या	4
23	चित्तूर	3
24	तिरुपति	3
25	श्री सत्य साईं	5
26	अनंतपुरमू	5
	कुल	70

***